भू-अभिलेख कम्प्यूटरीकरण योजना का क्रियान्वयन

भू-अभिलेख कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेखों को एक अभियान के रूप में प्रदेश स्तर पर प्रारम्भ किया गया है।

प्रदेश में कम्प्यूटरीकृत नकलों के वितरण में भी बृद्धि हुई है। गत वर्ष 2006-2007 में जहां कम्प्यूटरीकृत खसरा नकलों का वितरण लगभग 13,40,018 थी, वही प्रश्नाधीन अवधि वर्ष 2007-08 में यह बढ़कर प्रतिमाह 19,40,610 रुपये हो गई है। इसी प्रकार कम्प्यूटरीकृत नकलों से प्राप्त राजस्व जो पूर्व वर्ष में लगभग रूपये 228,90,356 था वह बढ़कर रुपये 3,10,26,690 से अधिक रहा । उक्त प्रगति का प्रमुख कारण राज्य सरकार के द्वारा भू-अभिलेख कम्प्यूटरीकरण योजना को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं में शामिल किया जाना है।

उपरोक्त के अतिरिक्त भू-अभिलेख कम्प्यूटरीकरण योजना के गुणात्मक सुधारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभाग द्वारा निम्नलिखित स्तरों पर कार्यों की विस्तृत समीक्षा की जाकर कार्य संपादित किए हैं :-

- प्रदेश का भू-अभिलेख वेब के माध्यम से आम नागरिक, बैंक ,पंजीयन कार्यालय आदि सभी शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थाओं को **ऑनलाइन उपलब्ध** कराने के प्रयास किये गये हैं ।
- प्रदेश के सभी 50 जिलों के भू-अभिलेख इन्टरनेट के माध्यम से विभागीय वेब साइट पर जनसाधारण को उपलब्ध कराये गये हैं।
- **ऑनलाइन नामांतरण व्यवस्था** प्रारम्भ करने के लिए सभी जिलों को प्रोग्राम CD पर उपलब्ध करा दिया गया है।
- प्रदेश में सभी तहसील मुख्यालयों पर **कम्प्यूटरीकृत अभिलेख प्रतियों को प्रदाय करने की व्यवस्था को ग्राम स्तर तक पहुंचाने का** प्रयास विभिन्न् जिलों द्वारा किया गया है।
- जिला स्तर पर आम कृषक की सुविधा दृष्टि से कम्प्यूटरीकृत कृषक सुविधा केन्द्रों की स्थापना की गई है, इसके माध्यम से कृषक सम्बन्धित जिले के किसी भी ग्राम भूमि की नकल प्राप्त कर सकता है।
- इस व्यवस्था के अन्तर्गत गांव में ही **पटवारी के माध्यम से प्रमाणित कम्प्यूटरीकृत नकल प्राप्त कर सकते हैं।**
- भूमि नक्शों को सुरक्षित एवं नवीनीकृत किए जाने के उद्देश्य से एक वृहद् कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसके तहत प्रायवेट वैण्डरों के माध्यम से प्रदेश में सभी जिलों के नक्शों का scanning व digitization कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

कार्य़ में पारदर्शिता व त्वरित कार्यवाही हेतु विभागीय वेबसाइट पर विभाग से सम्बन्धित सभी आदेश परिपत्र भी उसी दिन होस्ट किए जा रहे हैं, जो कि सर्व सुलभ उपलब्ध हैं। सभी विभागीय अधिकारियों को उपरोक्त आदेश/परिपत्र प्रतिदिन देखने के लिए निर्देशित किया गया है ताकि डाक से होने वाले विलम्ब से शासकीय कार्य प्रभावित न हो।

उपरोक्त वेबसाइट के सम्बन्ध में अपने बहुमूल्य सुझावों से आप मुझे email (clrgwa@mp.nic.in) पर अवगत करवा सकते हैं।

आयुक्त,
भू-अभिलेख एवं बंदोवस्त
मध्यप्रदेश